



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 28 फरवरी, 2014

फाल्गुन 9, 1935 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 314/79-वि-1-14-1(क)-1-2014

लखनऊ, 28 फरवरी, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का सविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर दिनांक 26 फरवरी, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2014 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2014)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान गण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के वसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जाएगा।

सक्षिप्य नाम और प्रारम्भ

(2) यह 24 अक्टूबर, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
29 सन 1974 द्वारा
परामर्शित और
पुन अधिनियमित
कुलपति अधिनियम
संख्या 10 सन
1973 में संशोधन
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में शब्द "प्राध्यापक" और "उपाचार्य" जहाँ कहीं आए हों के स्थान पर शब्द "सहायक आचार्य" और शब्द "सहयुक्त आचार्य" क्रमशः रख दिए जाएंगे।

धारा 4 का
संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में उपधारा (1) का लोप कर दिया जायेगा।

धारा 5 का
संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 5 में उपधारा (4) का लोप कर दिया जायेगा।

धारा 14 का
संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 14 में—

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

“(2) प्रति-कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक आचार्य ही होगा और उसकी नियुक्ति कुलपति की संस्तुति पर कार्यपरिषद द्वारा की जायेगी।”

(ख) उपधारा (4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराये रख दी जायेगी, अर्थात्—

“(4) प्रति-कुलपति ऐसी अवधि तक के लिए पद धारण करेगा जो कुलपति के पद का सह विस्तारी होगी तथापि यह कुलपति का परमाधिकार होगा कि वह अपने कार्यकाल के दौरान कार्यपरिषद को किसी नये प्रति-कुलपति की संस्तुति करे।

(5) प्रति-कुलपति ऐसी धनराशि का विशेष भत्ता प्राप्त करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा अवधारित किया जाय।”

धारा 20 का
संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (1) में, खण्ड (घ) में, शब्द “कुमाऊँ और बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय” के स्थान पर शब्द “बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय” रख दिये जायेंगे।

धारा 31 का
संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 31 में—

(क) उपधारा (4) में,

(एक) खण्ड (क) में—

क-उपखण्ड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड बढा दिया जायेगा, अर्थात्—

“(i-क) संकाय का सहायक, जहाँ कहीं लागू हो।”

ख-उपखण्ड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड बढा दिया जायेगा, अर्थात्—

“(iii-क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्गों के नागरिकों में से प्रत्येक से एक शिक्षाविद, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे, यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी संवक्षित श्रेणी का न हो।”

(दो) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

“(ग) किसी राज्यद्वारा या सहयुक्त महाविद्यालय, जिसमें स्ववित्तपोषित निजी महाविद्यालय सम्मिलित है (राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से गिन्न), के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे—

(i) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्ध समिति का एक सदस्य, जो अध्यक्ष होगा,

(ii) प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले प्रबन्ध समिति के दो सदस्य, जिनमें से एक शैक्षिक प्रशासन में विशेषज्ञ होगा;

(iii) कुलपति का एक नाम निर्दिष्टि, जो उच्च शिक्षा का एक विशेषज्ञ होगा;

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में विशेषज्ञ प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाये गए एवं कुलपति अनुमोदित तीन विशेषज्ञों के वैनल में से नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे,

(iv) तीन विशेषज्ञ, जिसमें महाविद्यालय का प्राचार्य, एक आचार्य और एक निष्णात शिक्षाविद्, जो आचार्य के रैंक के नीचे का न हो, कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित छः विशेषज्ञों के पैनल में से प्रबन्ध समिति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे -

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में विशेषज्ञों को प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाये गए एवं कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित छः विशेषज्ञों के पैनल में से नाम निर्दिष्ट किया जायेगा.

(v) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के नागरिकों में से प्रत्येक से एक शिक्षाविद्, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे, यदि इन वर्गों का कोई भी अभ्यर्थी आवेदक हो तथा यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी संबंधित श्रेणी का न हो:

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, यह उप खण्ड लागू नहीं होगा।"

(तीन) खण्ड (घ) में, उपखण्ड (ii) और (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"(ii) महाविद्यालय का प्राचार्य;

(iii) सम्बन्धित विषय का विभागाध्यक्ष, यदि लागू हो तो;

(iv) कुलपति के दो नामनिर्देशित जिनमें से एक विषय विशेषज्ञ होना चाहिए:

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, यह उप खण्ड लागू नहीं होगा।

(v) कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित विषय विशेषज्ञ की सूची से कुलपति द्वारा पाँच सदस्यों के पैनल में से संस्तुत प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विषय विशेषज्ञ जो महाविद्यालय से सम्बन्धित न हों:

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, विशेषज्ञों को प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाये गए एवं कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित पाँच विशेषज्ञों के पैनल में से प्रबन्ध समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।"

(चार) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(ङ) पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए चयन समिति उसी प्रकार से होगी जैसे क्रमशः आचार्य, सहयुक्त आचार्य और सहायक आचार्य के लिए होगी, सिवाय यह कि यथास्थिति, पुस्तकालय में संबंधित विशेषज्ञ या कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष एक विषय विशेषज्ञ के रूप में चयन समिति से सहयुक्त होगा।"

(ख) उपधारा (7-क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढा दी जायेगी, अर्थात्:-

"(7-ख) चयन समिति की सभी चयन प्रक्रियायें चयन समिति की बैठक के दिन ही पूर्ण कर ली जायेंगी, जिसमें चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित अंक देने के प्रपत्र और चयनित और प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची सहित श्रेष्ठता के आधार पर की गयी संस्तुतियों/श्रेष्ठता के आधार पर नामों के पैनल के साथ कार्ययुक्त अभिलिखित किया गया हो।"

(ग) उपधारा (10) में शब्द "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर शब्द "भारत" रख दिया जायेगा।

धारा 35 का
संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् -

“(2) ऐसे महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के किसी अध्यापक को पदच्युत करने या हटाने अथवा उसे पवित्तच्युत करने या किसी अन्य शीति से दण्ड देने के लिए किया गया प्रत्येक विनिश्चय उसे संसूचित किये जाने के पूर्व, कुलपति को रिपोर्ट किया जायेगा और यह तब तक प्रभावी न होगा, जब तक कुलपति द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया जाय :

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, किसी भी अध्यापक को बर्खास्त, अपसारित करते हुए या पवित्त में कम करते हुए या अन्य किसी भी प्रकार से दण्डित करते हुए प्रबन्ध समिति के निर्णय में कुलपति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उसकी उसे सूचना दी जायेगी और जब तक उसका यह समाधान न हो जाये कि इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है, तब तक उस निर्णय को प्रभावी नहीं किया जायेगा।”

अनुसूची का
संशोधन

9-मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(क) क्रम-संख्या 2 में शब्द “गाजियाबाद” के स्थान पर शब्द “गाजियाबाद, हापुड” एवं शब्द “तथा सहारनपुर” के स्थान पर शब्द “सहारनपुर एवं शामली” रख दिये जायेंगे;

(ख) क्रम-संख्या 7 में, शब्द “तथा शाहजहांपुर” के स्थान पर शब्द “सम्भल एवं शाहजहांपुर” रख दिये जायेंगे।

निरसन और
अपवाद

10-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2014 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 1
सन् 2014

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2013 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 11
सन् 2013

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) में संशोधन करने हेतु राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2013) का प्रख्यापन मुख्यतया निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए किया गया था,-

(क) “प्राध्यापक” और “उपाचार्य” का पदनाम परिवर्तित कर क्रमशः “सहायक आचार्य” और “सहयुक्त आचार्य” किया जाय;

(ख) यह प्रावधान किया जाय कि प्रति-कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक आचार्य होगा और उसकी नियुक्ति कुलपति की सस्तुति पर कार्यपरिषद् द्वारा की जायेगी और वह ऐसी अवधि तक के लिए पद धारण करेगा जो कुलपति के पद का सहविरतारी होगी परन्तु कुलपति का यह परमाधिकार

होगा कि वह अपने कार्यकाल के दौरान कार्यपरिषद् को किसी नये प्रति-कुलपति की संस्तुति करे। प्रति-कुलपति ऐसी धनराशि का विशेष भत्ता प्राप्त करेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय;

(ग) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापकों और प्राचार्य की नियुक्ति के लिये चयन समिति के गठन में परिवर्तन किया जाय;

(घ) पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी हेतु आचार्य श्रेणी के समान चयन समिति का गठन किया जाय ;

(ङ) नैनीताल में कुमायूँ विश्वविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित प्रावधानों को विलोपित किया जाय;

(च) आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालयों की सम्बद्धता स्वीकृत कराने का विशेषाधिकार छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के बजाय सभी राज्य विश्वविद्यालयों में उनके क्षेत्राधिकार के अनुरूप निहित किया जाय;

(छ) विभागीय कार्यवाहियों में समयबद्धता सुनिश्चित की जाय;

(ज) सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में नवसृजित जिलों को सम्मिलित करने के लिये अनुसूची को संशोधित किया जाय।

चूँकि उक्त अध्यादेश के कतिपय उपबन्ध राज्य सरकार के विचारण के अधीन थे, अतः उक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक राज्य विधान मण्डल के दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 से प्रारम्भ होने वाले पिछले सत्र में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। चूँकि उक्त अध्यादेश 15 जनवरी, 2014 के बाद समाप्त हो रहा था अतः यह विनिश्चय किया गया कि अल्पसंख्यक द्वारा शासित महाविद्यालयों के सम्बन्ध में कतिपय संशोधनों के साथ उक्त अध्यादेश के उपबन्धों को प्रतिस्थापित करने के लिये एक अन्य अध्यादेश प्रख्यापित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था। अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2014 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2014) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश संख्या 1 सन् 2014 को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस० बी० सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 314(2)/LXXIX-V-1-14-1(Ka)-1-2014

Dated Lucknow, February 28, 2014

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 2014) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 26, 2014 :

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2014

(U.P. ACT NO. 2 OF 2014)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as

follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2014. Short title and commencement
- (2) It shall be deemed to have come into force on October 24, 2013.

General
Amendment in
President's Act
no 10 of 1973 as
amended and re-
enacted by U P
Act no 29 of
1974

Amendment of
section 4

Amendment of
section 5

Amendment of
section 14

Amendment of
section 20

Amendment of
section 31

2. In the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 hereinafter referred to as the principal Act, for the word 'Lecturer' and the word 'Reader' wherever occurring, the words 'Assistant Professor' and the words 'Associate Professor' shall respectively be substituted

3. In section 4 of the principal Act, sub-section (1) shall be omitted.

4. In section 5 of the principal Act, sub-section (4) shall be omitted.

5. In section 14 of the principal Act,-

(a) for sub-section (2) the following sub-section shall be substituted, namely :-

"(2) The Pro-Vice-Chancellor shall be a whole-time Professor of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor."

(b) for sub-sections (4) and (5) the following sub-sections shall be substituted, namely :-

"(4) The Pro-Vice-Chancellor shall hold office for a period which shall be co-terminus with that of the Vice-Chancellor. However, it shall be the prerogative of the Vice-Chancellor to recommend a new Pro-Vice-Chancellor to the Executive Council, during his tenure.

(5) The Pro-Vice-Chancellor shall get a special allowance of such amount as may be determined by general or special orders by the State Government."

6. In section 20 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (d) for the words "Universities of Kumaun and Bundelkhand" the words "University of Bundelkhand" shall be substituted.

7. In section 31 of the principal Act,-

(a) in sub-section (4),

(i) in clause (a),-

A-after sub-clause (i) the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(i-a) the Dean of the faculty, wherever applicable;

B-after sub-clause (iii) the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(iii-a) academicians one each belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the above members of the selection committee does not belong to the respective category";

(ii) for clause (c) the following clause shall be substituted, namely :-

"(c) The Selection Committee for the appointment of the Principal of an affiliated or associated college including a self-financing private college (other than a college maintained exclusively by the State Government) shall consist of,-

(i) the Head of the Management or a member of the Management nominated by him who shall be the Chairman;

(ii) two members of the Management to be nominated by the Head of the Management of whom one shall be an expert in academic administration;

(iii) one nominee of the Vice-Chancellor who shall be a Higher Education expert;

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, the expert shall be nominated by the Management from out of a panel of three experts suggested by the Management and approved by the Vice-Chancellor;

(iv) three experts consisting of the Principal of a college, a Professor and an accomplished educationist not below the rank of a Professor to be nominated by the Management out of a panel of six experts approved by the Executive Council:

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, the experts shall be nominated by the Management out of a panel of six experts suggested by the Management and approved by the Executive Council;

(v) academicians one each belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of candidates representing these categories is the applicant, and any of the above members of the selection committee does not belong to respective category:

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India this sub-clause shall not apply."

(iii) in clause (d) for sub-clauses (ii) and (iii) the following sub-clauses shall be substituted, namely:--

"(ii) the Principal of the college;

(iii) the Head of the Department of the concerned subject, if applicable;

(iv) two nominees of the Vice-Chancellor of whom one should be a subject expert:

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India this sub-clause shall not apply.

(v) two subject experts not related to the college to be nominated by the Head of the Management out of a panel of five names recommended by the Vice-Chancellor from the list of the subject experts approved by the Executive Council:

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India the experts shall be nominated by the Management from out of a panel of five experts suggested by the Management and approved by the Executive Council."

(iv) after clause (d) the following clause shall be inserted, namely :-

"(e) the Selection Committee for the post of a Librarian, a Deputy Librarian and an Assistant Librarian shall be the same as that of a Professor, Associate Professor and Assistant Professor respectively, except that the concerned expert in Library, or a practicing Librarian, as the case may be, shall be associated with the Selection Committee as one of the subject experts."

(b) after sub-section (7-A) the following sub-section shall be inserted, namely: -

"(7-B) All the selection procedures of the Selection Committee shall be completed on the day of the Selection Committee meeting itself, wherein, minutes are recorded alongwith the scoring proforma and recommendations made on the basis of merit with the list of selected and waitlisted candidates/Panel of names in order of merit, duly signed by all members of the Selection Committee."

(c) in sub-section (10) for the words "Uttar Pradesh," the word "India" shall be substituted.

8. In section 35 of the principal Act for sub-section (2) the following sub-section shall be substituted, namely :-

Amendment
of section 35

"(2) Every decision of the Management of such college to dismiss or remove a teacher or to reduce him in rank or to punish him in any other manner shall before it is communicated to him, be reported to the Vice-Chancellor and shall not take effect unless it has been approved by the Vice-Chancellor

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, the decision of the Management dismissing removing or reducing in rank or punishing in any other manner any teacher shall not require the approval of the Vice-Chancellor, but, shall be reported to him and unless he is satisfied that the procedure prescribed in this behalf has been followed, the decision shall not be given effect to "

Amendment of the
Schedule

9. In the Schedule to the principal Act, -

(a) in serial no. 2 for the word "Ghaziabad" the words, "Ghaziabad, Hapur" and for the words "and Saharanpur" the words, "Saharanpur and Shamli" shall be substituted.

(b) in serial no. 7 for the words "and Shahjahanpur," the words "Sambhal and Shahjahanpur" shall be substituted.

Repeal and
Saving

10. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2014 is hereby repealed

U.P. Ordinance
no. 1 of 2014

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendments) Ordinance, 2013 shall be deemed to have been done or taken under the co-responding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

U.P. Ordinance
no. 11 of 2013

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Ordinance, 2013 (U.P. Ordinance no. 11 of 2013) was promulgated by the Governor on October 24, 2013 to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act no. 10 of 1973) as amended and reenacted by U.P. Act no. 29 of 1974 mainly to provide for,-

(a) changing the name of "Lecturer" and "Reader" by the "Assistant Professor" and "Associate Professor" respectively;

(b) making provisions that the Pro-Vice-Chancellor shall be a whole time Professor of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor and shall hold office for a period which shall be co-terminus with that of the Vice-Chancellor provided it shall be the prerogative of the Vice-Chancellor to recommend a new Pro-Vice-Chancellor to the Executive Council during the tenure thereof. The Pro-Vice-Chancellor shall get a special allowance of such amount as may be determined from time to time by the State Government;

(c) making change in the constitution of the selection committee for the appointment of teachers and the principal of an affiliated or associated college;

(d) constitution of the selection committee for the librarian category similar to that of a Professor;

(e) omission of the provisions relating to the establishment of the Kumaun University at Nainital;

(f) empowering all the State Universities in their respective jurisdiction to grant privilege of affiliation to the Ayurvedic/Unani degree colleges instead of the Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur;

(g) ensuring time bound action in the departmental proceedings;

(h) amending the Schedule to include the newly created districts in the jurisdiction of the respective State Universities

As certain amendments in the provisions of the said Ordinance were under consideration of the State Government the replacing Bill of the said Ordinance could not be introduced in the last session of the State Legislature commencing on December 05, 2013. Since the said Ordinance was going to be lapsed after January 15, 2014, it was decided to promulgate an other Ordinance to replace the provisions of the said Ordinance with certain amendments relating to the colleges administered by a minority

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2014 (U.P. Ordinance no. 1 of 2014) was promulgated by the Governor on January 15, 2014

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance no. 1 of 2014

By order,
S. B. SINGH,
Pramukh Sachiv